Jansatta 2/10/11

भट्ट को न्यायिक हिरासत में भेजा

Jansatta 2/10/11

अमदाबाद, 1 अक्तूबर (भाषा)। अदालत ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को पुलिस हिरासत में देने की याचिका ठुकरा दी। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। भट्ट ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2002 के गुजरात दंगों में संलिप्तता का आरोप लगाया था। पुलिस ने भट्ट के सात दिनों के हिरासत की मांग की थी। उन्हें शुक्रवार को कांस्टेबल केडी पंत की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बीजी दोशी ने पुलिस आग्रह खारिज कर दिया और भट्ट को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

वहीं भट्ट की पत्नी श्वेता ने शनिवार को कहा कि उनके पति की जान को खतरा है क्योंकि उन्हें शहर पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। उधर शहर के पुलिस आयुक्त सुधीर सिन्हा का कहना है कि उनकी आशंका निराधार है। पुलिस शनिवार दिन में भट्ट के घर की तलाशी लेने गई थी। लेकिन ताजा तलाशी वारंट की श्वेता की मांग पर उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। श्वेता ने आरोप लगाया है कि सच बोलने पर पुलिस उनके पति को प्रताड़ित कर रही है। भट्ट को कांस्टेबल

पत्नी को उनकी जान पर खतरे की आशंका

पंत की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। भट्ट पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 342, 195 और 189 के तहत मामला दर्ज किया गया है। श्वेता ने पति की जान को खतरा बताते हुए डीजीपी और नगर पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है।

संजीव भट्ट के वकील आईएच सईद ने अदालत से कहा कि पंत की शिकायत के खिलाफ भट्ट की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में गुजरात पुलिस ने सिर्फ उन्हें प्रताड़ित करने के लिए गिरफ्तार किया है। भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि पंत की प्राथमिकी पर स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। लोक अभियोजक प्रवीण त्रिवेदी ने दलील दी कि भट्ट की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लेकिन अदालत ने न तो मामले की जांच पर रोक लगाई है और न न ही इसमें पुलिस को किसी को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है। पंत की प्राथमिकी के मुताबिक, भट्ट ने 16 जून को केडी पंत को फोन करके कुछ काम के लिए अपने घर बुलाया था। जब पंत भट्ट के घर पहुंचे तो आईपीएस अधिकारी भट्ट ने उनसे कहा कि बाकी पेज 8 पर

भट्ट को न्यायिक हिरासत में भेजा

पेज 1 का बाकी

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमित्र 18 जून को आ रहे है और उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के लिए उनसे मिलना है। पंत के मुताबिक भट्ट ने उनसे कहा कि वह न्यायमित्र से कहें कि एसआईटी ने जबरदस्ती उनका बयान दर्ज किया है। जब उन्होंने मना किया तो भट्ट ने उन्हें कथित तौर पर धमकाया। कांस्टेबल पंत ने प्राथमिकी में दावा किया है कि भट्ट उन्हें गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अर्जुन मोधवाडिया से मिलवाने ले गए। मोधवाडिया ने कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नही है और वे भट्ट के कहे मुताबिक चलें। प्राथमिकी में दावा किया गया है कि मोधवाडिया से मिलने के बाद भट्ट उन्हें एक वकील के कार्यालय में ले गए और उन्होंने एक नोटरी के साथ मिलकर उनसे दो हलफनामों पर हस्ताक्षर कराया।

इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई और गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार शनिवार को भट्ट से मिलने अपराध शाखा के कार्यालय पहुंचे। लेकिन उन्हें मिलने की इजाजत नही दी गई, क्योंकि उन्होंने इसकी इजाजत नही ली थी। साराभाई और श्रीकुमार ने भट्ट की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। साराभाई ने कहा कि भट्ट की गिरफ्तारी न्याय को विकृत और विध्वंस करना है। सरकार की दादागीरी की रणनीति है। साराभाई ने कहा कि समाज के सभी सदस्यों को एक साथ आना चाहिए और इस तरह की कार्रवाइयों का विरोध करना चाहिए।

वहीं श्रीकुमार ने कहा कि मुझे भट्ट की पत्नी ने फोन किया और उन्होंने मुझसे उनके मामले को उठाने का आग्रह किया है क्योंकि 2002 के दंगे के समय मैं उनका वरीय अधिकारी था। सांप्रदायिक दंगे के समय अतिरिक्त डीजीपी (खुफिया) रहे श्रीकुमार ने कहा कि 2002 के दंगे में करीब 15 सौ लोग मारे गए और सिर्फ एक निरीक्षक गिरफ्तार हुआ। इतने लोगों की मौत के लिए न तो तत्कालीन डीजीपी और न ही मुख्यमंत्री पर जिम्मेदारी तय की गई

Dainik Jagran 2/10/11

भट्ट की पत्नी ने जताई हत्या की आशंका

अहमदाबाद, जागरण संवाददाता : निलंबित आइपीएस संजीव भट्ट के बाद शनिवार को उनकी पत्नी श्वेता ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात पुलिस पर हमला बोला। श्वेता ने कहा कि पुलिस हिरासत में उनके पति की जान को खतरा है। भट्ट की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए श्वेता ने कहा कि उनके पति के साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जा रहा है। पुलिस ने अहमदाबाद के गुरुकुल रोड पर स्थित संजीव भट्ट के निजी आवास की शुक्रवार शाम और शनिवार दोपहर को तलाशी ली। पुलिस ने भट्ट के निजी कंप्यूटर का सीपीयू, कुछ अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया है। इससे आहत श्वेता ने कहा, 'पुलिस की हरकतें देखकर मैं हैरान हूं। मुझे अचरज है कि मेरे पति अब तक इन लोगों के साथ सेवाएं दे रहे थे।' श्वेता ने राज्य शेष पृष्ठ 8 कालम 1 पर

संजीव भट्ट

भट्ट की पत्नी ने जताई हत्या की आशंका

के पुलिस महानिदेशक चितरंजन सिंह, अहमदाबाद के चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट और पुलिस आयुक्त सुधीर सिन्हा को पत्र लिखकर पति की सुरक्षा की मांग की है। पुलिस हिरासत में पति की हत्या की आशंका जताते हुए उन्होंने कहा है कि संजीव को अगर कुछ भी हुआ तो इसके लिए पुलिस और सरकार जिम्मेदार होगी। श्वेता ने कहा, 'बिना कारण मेरे घर की तलाशी ली गई। मेरे परिवार के साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जा रहा है। पुलिस हमें संजीव से मिलने नहीं दे रही।' उन्होंने मांग की है कि पुलिस की पूछताछ के दौरान संजीव का वकील भी उनके साथ रखा जाए। श्वेता ने कहा कि राजनीतिक दुर्भावना के कारण संजीव को गिरफ्तार किया गया है। श्वेता के इस आरोप पर पुलिस महानिदेशक ने कहा, 'कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति से किसी को मिलने दिया जाए। संजीव भट्ट की गिरफ्तारी किसी मान्यता के आधार पर नहीं की गई। उनके खिलाफ फर्जी हलफनामे के सुबूत हैं।' भट्ट व उनके परिवार को सुरक्षा के बारे में उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक दंगा मामले का कोई भी गवाह पुलिस सुरक्षा मांगता है तो उसे सुरक्षा दी जाती है। भट्ट की जान को कोई खतरा नहीं है। गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आरबी श्रीकुमार ने कहा है कि उन्हें भी भट्ट से नहीं मिलने दिया गया। श्रीकुमार ने आरोप लगाया कि गुजरात दंगों में दो हजार लोग मारे गए, लेकिन एक भी पुलिसवाला गिरफ्तार नहीं हुआ। दंगा आरोपियों के खिलाफ सुबूत देने वाले कुलदीप शर्मा, राहुल शर्मा और संजीव भट्ट को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है।

अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेजा : : आइपीएस संजीव भट्ट को सत्र अदालत ने शनिवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अदालत ने भट्ट को सात दिन की रिमांड पर सौंपने की पुलिस की अर्जी खारिज कर दी। भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर कहा था कि 27 फरवरी, 2002 को मुख्यमंत्री मोदी ने उच्चस्तरीय बैठक में समुदाय विशेष को गुस्सा निकालने की छूट देने के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए थे। भट्ट के मातहत काम कर चुके कांस्टेबल क[illegible]त ने आरोप लगाया था कि भट्ट ने उसे धमकाकर फर्जी हलफनामा तैयार [illegible] था। यह हलफनामा भट्ट ने 27 फरवरी, 2002 की बैठक में खुद के शामिल [illegible] के सुबूत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था।

Sunday Navbharat Times 2/10/11

भट्ट को नहीं भेजा पुलिस रिमांड में

पीटीआई ॥ अहमदाबाद : नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान देने वाले गुजरात के निलंबित आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट को शनिवार को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट ने भट्ट की पुलिस रिमांड की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। ⏭ पेज 17

। संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 2 अक्टूबर 2011

मोदी की मुश्किलें बढ़ाने वाला अफसर जेल में

पीटीआई ॥ अहमदाबाद

गुजरात के सीनियर आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट को शनिवार को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इससे पहले एक अदालत ने भट्ट को पुलिस रिमांड की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। संजीव भट्ट वही अधिकारी हैं, जिन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर 2002 के गोधरा दंगों में मिलीभगत का आरोप लगाया था।

पुलिस ने कोर्ट से भट्ट को 7 दिन की रिमांड पर देने की मांग की थी। भट्ट को पुलिस कॉन्स्टेबल के.डी. पंत की ओर दर्ज कराई गई शिकायत के सिलसिले में शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था। भट्ट की पत्नी श्वेता ने उनकी जान को खतरा बताया था, क्योंकि उन्हें सिटी क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था। हालांकि सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा कि ऐसी आशंका निराधार है।

पत्नी ने लौटाई पुलिस : पुलिस शनिवार को दूसरी बार भट्ट के घर की तलाशी लेने गई, लेकिन संजीव की पत्नी श्वेता के सर्च वॉरेंट की मांग करने पर उसे लौटना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि सच

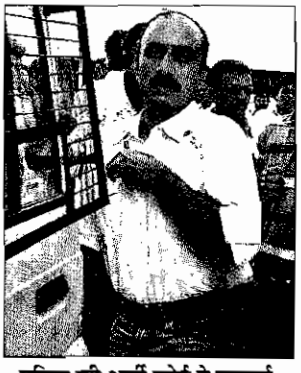

पुलिस की अर्जी कोर्ट ने ठुकराई, संजीव भट्ट जुडिशल कस्टडी में

बोलने पर पुलिस उनके पति को प्रताड़ित कर रही है।

भट्ट के खिलाफ कॉन्स्टेबल पंत ने एफआईआर दर्ज कराई थी। पंत ने उन पर धमकाने और 27 फरवरी, 2002 को मोदी की ओर से बुलाई गई मीटिंग से संबंधित झूठे हलफनामे पर साइन करवाने का आरोप लगाया था। भट्ट पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 342, 195 और 189 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

कांग्रेस ने साधा निशाना : कांग्रेस ने गिरफ्तार अधिकारी संजीव भट्ट के घर की तलाशी लिए जाने पर गुजरात पुलिस की आलोचना की है। उसने कहा कि राज्य में बीजेपी की तानाशाही साफ दिखाई दे रही है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, 'गुजरात में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की कारगुजारियों का खुलासा करने के बाद आखिर इस अधिकारी को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? गुजरात में बीजेपी की तानाशाही साफ दिखाई दे रही है।'

सीपीएम भी नाराज : सीपीएम ने गुजरात के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजीव भट्ट की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की है। पार्टी पोलित ब्यूरो का कहना है कि भट्ट ने गुजरात दंगों के मामले में हकीकत को बयान किया था और इस बाबत अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था। उनकी गिरफ्तारी से साबित होता है कि गुजरात की मोदी सरकार राज्य में हुए दंगों में अपनी भूमिका को छिपाने के लिए हर अवैध तरीका अपना रही है। पार्टी ने भट्ट को तत्काल रिहा किए जाने की मांग की है।

Hindustan 2/10/11

भट्ट मामले में मोदी सरकार को झटका

अहमदाबाद | एजेंसियां

गुजरात सरकार को करारा झटका देते हुए एक अदालत ने निलंबित आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को पुलिस हिरासत में भेजे जाने की मांग ठुकरा दी। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। झूठे हलफनामे पर हस्ताक्षर करवाने के आरोप में शुक्रवार को संजीव को गिरफ्तार किया गया था।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बी. जी. दोशी ने पुलिस के आग्रह को खारिज कर दिया और भट्ट को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। उन्हें साबरमती जेल में रखा गया है। इससे पहले शनिवार को भट्ट की पत्नी श्वेता ने कहा कि उनके पति के जान को खतरा है, क्योंकि उन्हें शहर पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। वहीं, नगर पुलिस आयुक्त सुधीर सिन्हा का कहना है कि भट्ट की जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। उनकी पत्नी की ओर से जताई गई आशंका निराधार है।

● जान को खतरा: पेज-14

कौन हैं संजीव भट्ट

1988 बैच के आईपीएस संजीव भट्ट गुजरात में कई पदों पर तैनात रहे हैं। भट्ट ने 2002 में गोधरा दंगों को लेकर मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए थे

क्यों हुई गिरफ्तारी

कांस्टेबल के.डी पंत ने संजीव पर धमकाने और नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाई गई एक बैठक से संबंधित झूठे घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाया है।

इन धाराओं के तहत केस : भट्ट पर भारतीय दंड संहिता की धाराओं 341, 342, 194, 195 और 189 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

गुजरात के आईपीएस अधिकारी की पत्नी श्वेता भट्ट ने कहा, मुझे उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा

संजीव भट्ट की जान को खतरा : पत्नी

अहमदाबाद | एजेंसियां

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलनेवाले गिरफ्तार आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की पत्नी ने उनकी जान को खतरे की आशंका जताई और गुजरात के पुलिस आयुक्त से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने शनिवार को भट्ट को अदालत में पेश किया।

भट्ट की पत्नी श्वेता ने कहा, कल से मुझे संजीव से मिलने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस अधिकारी हमारे वकील को भी उनसे नहीं मिलने दे रहे हैं, ऐसे में हम उनकी जमानत याचिका कैसे दायर करेंगे।

एक कांस्टेबल को जबरन अपने पास रखने और झूठे हलफनामे पर हस्ताक्षर करवाने के आरोप में शुक्रवार को संजीव को गिरफ्तार किया गया था। कांस्टेबल के.डी पंत ने संजीव पर उन्हें धमकाने और उनसे 27 फरवरी 2002 को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाई गई एक बैठक से संबंधित एक झूठे घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करवाने का आरोप लगाया है। इस बीच गुजरात पुलिस ने शनिवार को संजीव भट्ट को अदालत में पेश किया। श्वेता ने कहा, कल 35-40 से भी अधिक पुलिसकर्मियों ने बिना

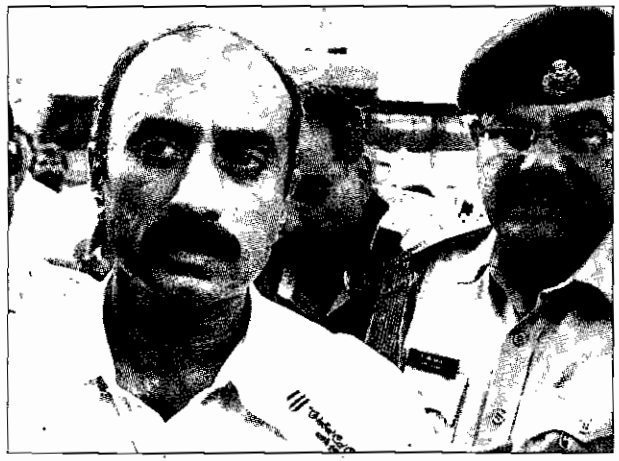

शनिवार को अहमदाबाद में निलंबित आईपीएस संजीव भट्ट अदालत में पेश हुए। ● प्रेट

किसी पूर्व सूचना के दो घंटे से अधिक समय तक मेरे घर की तलाशी ली। वह संजीव को ले गए और उसके बाद से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। संजीव ने वर्ष 2002 में गोधरा दंगों के संबंध में मोदी की भूमिका पर सवाल उठाये हैं।

भट्ट की गिरफ्तारी बदले की कार्रवाई नहीं : भाजपा

भाजपा नेता अरुण जेटली ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ व्हीसल ब्लोअर की भूमिका निभा रहे आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए कहा कि भट्ट को एक कांस्टेबल से जबरन झूठा हलफनामा दायर कराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उसका गुजरात दंगों को लेकर उनके विरोध से कोई लेना-देना नहीं है। जेटली ने स्पष्ट किया कि भट्ट को एक कांस्टेबल की शिकायत पर गिरफ्तार किया गया है।

गहराया विवाद

- भट्ट के परिवार ने पुलिस आयुक्त से लगाई न्याय की गुहार
- कांस्टेबल को जबरन रखने और झूठे हलफनामे पर हस्ताक्षर करवाने का आरोप
- निलंबित आईपीएस अधिकारी को अदालत में पेश किया गया

बोलीं श्वेता

संजीव के खिलाफ घाटलोडिया पुलिस थाने में एक मामला दर्ज करने के बाद उन्हें क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया गया, जो मुठभेड़ विशेषज्ञ हैं। मैं उन लोगों पर विश्वास नहीं कर सकती। मुझे उनकी जान का डर है।

पुलिस ने कहा, भट्ट को कोई खतरा नहीं

संजीव भट्ट की जिंदगी को उनकी पत्नी द्वारा खतरा बताए जाने को गुजरात पुलिस ने खारिज करते हुए कहा कि उनकी जान को कोई खतरा नहीं है। नगर पुलिस आयुक्त सुधीर सिन्हा ने बताया, भट्ट की जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। उनकी पत्नी की ओर से जताई गई आशंका गलत है। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता मल्लिका साराभाई और गुजरात के पूर्व डीजीपी आर. बी. श्रीकुमार भट्ट से मिलने अपराध शाखा के कार्यालय पहुंचे। उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी गई, क्योंकि उन्होंने इजाजत नहीं ली थी।

छापा मारने गई पुलिस को लौटना पड़ा खाली हाथ

गुजरात पुलिस गिरफ्तार आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के आवास पर शनिवार को फिर छापा मारने गई लेकिन ताजा तलाशी वारंट न होने पर भट्ट की पत्नी श्वेता के तलाशी का विरोध करने पर उसे बैरंग लौटना पड़ा। श्वेता ने कहा, मैंने उनसे कहा कि शुक्रवार के वारंट के आधार पर हमारे आवास की तलाशी उत्पीड़न के समान है। वे एक ही वारंट के आधार पर दोबारा हमारे आवास की तलाशी नहीं ले सकते। उसके बाद वे हमारे आवास से चले गए।